न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-643RAABarmer2025-317RTA223 Bheekharam Vs Lrs of Heeraram etc

भीखाराम पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई निवासी नगर हाल निवासी छोटू तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. हीराराम पुत्र जीयाराम के कायम मुकामः—
   1.1. हनुमानराम पुत्र हीराराम
   1.2. नारायणराम पुत्र हीराराम
   1.3. ओमप्रकाश पुत्र हीराराम
   1.4. श्रीमती सोनीदेवी पत्नि हीराराम
2. रामलाल पुत्र जीयाराम
3. भैराराम पुत्र अर्जुनराम
4. जगदीश पुत्र अर्जुनराम
5. सोहन पुत्र अर्जुनराम
6. ओमप्रकाश पुत्र अर्जुनराम
7. काली बेवा अर्जुनराम
8. भागीरथ पुत्र तुलछाराम
9. हेमाराम पुत्र तुलछाराम के कायम मुकामः—
   9.1. श्रीमती कमला पत्नि हेमाराम
   9.2. सचीन पुत्र हेमाराम
   9.3. खुशी पुत्री हेमाराम

   उतरदाता संख्या 9/2 से 9/3 नाबालिग वलिये कुदरती सरंक्षक माता श्रीमती कमला उतरदाता संख्या 9/1
10. धुडाराम पुत्र तुलछाराम
11. जगदीश पुत्र तुलछाराम

    जातियान विश्नोई निवासी दिशान्तरी नाडी, नगर तहसील गुडमाालानी जिला बाडमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 सितंबर 2025(हस्ताक्षरित 02 नंवबर 2025) सहायक कलक्टर गुड़ामालानी राजस्व मूल वाद संख्या 55/2011 भीखाराम बनाम हीराराम इत्यादि

उपस्थित—

श्री शैतानसिंह राठौड़, अधिवक्ता—अपीलाण्ट(ब्रीफ होल्डर जरिये डूंगरसिंह महेचा)

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

नि र्ण य

दिनांक : 03 जून 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 55/2011 अनवान भीखाराम बनाम हीराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री दिनांक 29 सितंबर 2025(हस्ताक्षरित 02 नवंबर 2025) के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 नवंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत वादग्रस्त आराजीयात ग्राम नगर तहसील गुड़ामालानी के खसरा नम्बर 303, 376, 302 कुल रकबा 15.17 बीघा के संबंध में 1/2 हिस्से की पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 हिन्दू विधि से शासित है। उभय पक्षकार मूल रूप से गांव नगर तहसील गुडामालानी के निवासी है। वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी जमीन गांव नगर तहसील गुडामालानी में खसरा नम्बर 303, 376, 302 रकबा 157. 17 बीघा के आये हुये है जिसमें वादी का खातदारी हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का हिस्सा 1/2 है। वादी के पिता स्व. गंगाराम का विवाह गांव छोटू में स्व. रामूराम के यहां उनकी पुत्री तेजी के साथ हुआ था। श्रीमती तेजी जिनका देहान्त सवंत 2018 में हो गया। वादी की जन्मदात्री माता थी एवं स्व. गंगाराम जिनका देहान्त भू–प्रबंध के दौरान हो गया था जो वादी के जन्मदाता पिता थे। वादी स्व. गंगाराम एवं श्रीमती तेजी की जांइदा संतान है। वादी के पिता स्व. गंगाराम ने अपने ससुर स्व. रामूराम के साथ जांगीरकाल में संयुक्त रूप से खेत अर्जित किया था, जहां भी उनकी ढाणी बनी हुई थी। भू प्रबंध के समय वादी के पिता गंगाराम का देहान्त हो गया तथा मौजा नगर की वादग्रस्त आराजी वादी की माता व स्व. गंगाराम के दोनों पुत्र क्रमशः गनपत व वादी भीखाराम काबिज हुये। उस समय वादी तथा वादी का भाई गनपत जिनका देहांत भू प्रबंध के बाद हो गया था, अवयस्क थे एवं अपनी माता की निगरानी में थे। भू प्रंबध विभाग ने मौजा नगर की वादग्रस्त भूमि की खातेदारी का पर्चा लगान जीया पुत्र काछबा 1/2 एवं मु.तेजी बेवा गंगाराम 1/2 के नाम से जारी किया गया है। हिन्दू उतराधिकार विधि अनुसार उपरोक्त आराजी के हिस्सा 1/2 की सहखातेदार मुस्मात तेजी के साथ उसके दोनों पुत्रों के अधिकार पैदा हो चुके थे, परन्तु भू प्रबंध विभाग ने आराजी के हिस्सा 1/2 मे अकेली वादी की माता मुस्मात तेजी के नाम का ही अंकन किया। वादी की माता बरसात के समय इस आराजी में आकर काश्त करती थी व शेष समय वह अपने दोनों ही नाबालिग पुत्रों के साथ अपने मायके में अपनी ढाणी गांव छोटू में रहती थी। वादी का भाई गनपत निःसंतान कुंवारा था, जिसका देहान्त हो चुका था और संवत 2018 में वादग्रस्त आराजी की सह खातेदार वादी की माता मुस्मात तेजी का भी देहान्त हो गया, उस समय वादी की उम्र लगभग 12 साल थी। माता–पिता के देहान्त हो जाने पर वादी की देखभाल वादी के ननिहाल वाले करते थे। वादी की माता मुस्मात तेजी के देहान्त पर उसके जेठ प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के पिता, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 व 8 से 11 के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 7 के ससुर के मुस्मात तेजी को निःसंतान फौत होने की गलत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सूचना पटवारी व ग्राम पंचायत को देकर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 78 मौजा नगर अपने स्वयं के नाम खुलवाकर तस्दीक करा दिया एवं इस प्रकार समस्त वादग्रस्त आराजी अकेले जीया पुत्र कास्वा के नाम हो गई। खातेदार जीया का देहान्त हो चुका है। उसके मौजूदा वारीसान प्रतिवादी संख्या 1 से 11 है। वादी के वयस्क होने के पश्चात अपने पैतृक गांव नगर आने जाने लगा व वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/2 में अपनी ओर से काश्त की व्यवस्था करने लगा। कभी स्वयं बुआई कर देखरेख का जिम्मे अपने सह खातेदारान को सौप देता था और कभी अपने ही सह खातेदार को हिस्से पर खेत दे देता था और इस व्यवस्था में कभी विवाद पैदा नहीं हुआ। वादी यही समझता आया है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का सहखातेदार के रूप में अंकन है। वादी ने अपने खेत का विभाजन कर पृथक खातेदारी दर्ज कराने की मंशा से प्रतिवादीगण को आराजी का विभाजन कराने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के अधिकारों को अस्वीकार करते हुये प्रकट किया कि इस आराजी का हिस्सा 1/2 जो वादी की माता स्व. तेजी के नाम पर रेकर्ड में था, वह हिस्सा तेजी की फौतगी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता ने अपने नाम पर रेकर्ड में करा दिया था। वादी का आराजी में नाम अंकित नहीं है, अतः आगे से वादी को इस आराजी में न तो प्रवेश करने देगें और न ही फसल में कोई हिस्सा देगें। प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार वादी के अधिकारों को चुनौती देने पर इस आराजी के राजस्व रेकर्ड की जांच करवाकर नकले ली तो वादी को ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जीयाराम ने वादी की माता की फौतगी पर उसे निसंतान फौत बताकर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 78 अपने नाम पर खोल दिया और स्वयं जीयाराम का भी देहान्त हो गया है एवं मौजूदा समय में वादग्रस्त आराजी स्व. जीयाराम के बेटो–पोतो के नाम पर दर्ज है। फलतः वादी के अपने अधिकारों की घोषणा व विभाजन हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/अपीलांट्स का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम नगर नवसृजित ग्राम दिशांतरी नाडी की वादग्रस्त आराजी जिनके मौजूदा राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 302, 303/1 व 376/2 समस्त रकबा 152.10 बिस्वा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त का है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. जीयाराम तथा वादी की माता स्व. तेजी के नाम पर वक्त बंदोबस्त बहिस्सा बराबर यह आराजी रेकर्ड में अंकित हुई। वादी की माता जो इस आराजी के हिस्सा 1/2 की सहखातेदार थी, के देहान्त के समय स्व. वादी अवयस्क था और वादी का लालन पोषण उसके ननिहाल वाले कर रहे थे और इस स्थिति का अनुसचित लाभ उठाकर प्रतिवादीगण के वालिद जीयाराम ने वादी की माता को निंसतान फौत बताकर अपने आपको वारिश बताकर विरासत का नामानतरकरण अपने पक्ष में करा लिया। न तो नामान्तरकरण अधिकारों का निर्णायक है और न ही एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे

अपील प्राधिकारी

सहखातेदार के विरूद्ध कब्जा प्रतिकूल कब्जा होता है। गलत तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण अपने पक्ष में खुलवा देने से वादी के हिन्दू विधि द्वारा प्रद्वत अधिकारों समाप्त नहीं होते और न ही वादी के दूसरे गांव में रहने से इस आराजी से वादी के अधिकार ही समाप्त होते है। प्रतिवादी के वालिद स्व. जीयाराम को यह भली प्रकार ज्ञान था कि मुस्मात तेजी के दो पुत्र है तथा उक्त तेजी विधवा हो जाने के कारण अपने मायके वालों के आश्रय में बैठी है, परन्तु स्व. जीयाराम ने एक अबला विधवा व उसके अवयस्क पुत्रों की कमजोरी का अनुचित लाभ उठाकर मुस्मात तेजी को निसंतान फौत बताकर और अपने आपको उसका एक मात्र वारीश बताकर उसकी खातेदारी के निस्फ हिस्से को अपने नाम पर करा दिया, जिसे वादी उक्त आधारों के आधार पर अपने खातेदारी में घोषित कर आराजी का निस्फ हिस्सा अपना खातेदारी में घोषित कराने का अधिकारी है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित कर दिया था, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से अपीलांट के वाद को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये खारिज कर दिया। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं आधारों पर यह प्रथम दृष्टया भलीभांति साबित है कि अधिनस्थ न्यायालय पारित डिक्री व निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों की भूल तथा अपीलान्ट के प्रति शुरू से ही शुन्य एवं अवैध होने से काबिले निरस्त है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टटर एवं उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2011 अनवान भीखाराम बनाम हीराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2025 को अपास्त किया जावे एवं वादी को वादग्रस्त भूमि मौजा दिशान्तरी नाडी पटवार क्षेत्र नगर में स्थित खेत खसरा नम्बर 303/1 रकबा 134 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 302 रकबा 06 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 376/2 रकबा 18 बीघा समस्त रकबा 152 बीघा 10 बिस्वा में वादी को हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें।

जवाब में उतरदाता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट से रेस्पो. के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादी/अपीलांट मूल रूप से गांव नगर का निवासी नहीं है। वादी के पिता सेन्टलमेंट से पूर्व गांव छोटू में जाकर घर जवाई रह गये थे, तभी से वहीं निवास कर रहे है तथा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की आगवी है। स्व. गंगाराम अपने ससुर स्व. रामूराम के वहां सेन्टलमेंट से पूर्व घर जवाई चले गये थे। वादग्रस्त आराजी पर वादी की माता या पिता का कब्जा काश्त नहीं था। भू प्रबंध विभाग ने गलत रूप से वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के पूर्वज जीया पुत्र काछबा के साथ तीजों पत्नि गंगाराम का भी नाम दर्ज कर दिया था। भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत ने सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादीगण के नाम करवाने के ऐवज में रूपये मांगने पर प्रतिवादीगण द्वारा कानूनी पेशिदगियों में नहीं पड़कर वादी व उसके भाई गणपत उर्फ गुणेश के वली वादी को तत्समय 900/– रूपये

राजस्व अपील प्राधिकारी

नकद अदा कर पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 06.09.1993 को प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के पिता व पति हीराराम, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के पिता व पति अरजनराम के पक्ष में निष्पादित करवा दिया, प्रतिवादीगण का नाम पूर्व से दर्ज होने पर उक्त बेचान दस्तावेज का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा वास्तविक तथ्यों को दावे में छुपाया गया है। अपीलांट को इस तथ्य की भलीभांति जानकारी रही है कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की खातेदारी में दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विधिक बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में मामले का तनकीवार विवेचन करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को साबित नहीं होना मानते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट जीया वल्द काछबा 1/2 हिस्सा तथा तेजी बेवा गंगाराम 1/2 हिस्सा दर्ज हुई है। तेजी बेवा गंगाराम की फौतेदगी पर वादग्रस्त आराजीयात जीया वल्द काछबा के नाम दर्ज होना प्रकट होती है। प्रदर्श डी–1 के अवलोकन मुताबिक दिनांक 06.09.1963 को स्व. तेजी के वारिसान् वादी/अपीलांट भीखाराम व गणेशा उर्फ गणपत द्वारो तत्समय 900 रूपये नगद प्राप्त कर पंजीबद्ध बेचानानामा के जरिये वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पूर्वजों को हस्तांतरित किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये अपने खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण कर दिये जाने के बाद उक्त दस्तावेज के प्रभाव में रहते पुनः पुश्तैनी आधार पर उसी आराजी में किसी प्रकार के अधिकार नहीं रखता है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाहन ने अपनी जिरह में वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण/रेस्पो. का कब्जा स्वीकार किया है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्व न्यायालय को पंजीबद्ध दस्तावेजा को निस्प्रभावी अथवा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट अपने स्वयं द्वारा निष्पादित दस्तावेज से पाबंद है। उक्त दस्तावेज के प्रभावी रहते राजस्व न्यायालय में वादी/अपीलांट का वाद पोषणीय नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के प्रावधानोंनुसार भी अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने से वह वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 55/2011 अनवान भीखाराम बनाम हीराराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 सितंबर 2025(हस्ताक्षरित 02 नवंबर 2025) यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बेनीवाल)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर